# हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 2005

संख्या पी०सी०पी०(एन सी आर) / के०एम०पी० / सी०ए०जी०(बी०) / 2005 / 1305 — पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निर्मित समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में विनिदिंष्ट और इसके साथ संलग्न नक्शे में दिखाए गये अनुसार गांव चान्दला डूंगरवास, हदबस्त संख्या 148, जिला गुड़गांव के राजकीय प्रथमिक विद्यालय के दो किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात्:—

### अनुसूची

गांव चान्दला डूंगरवास, हदबस्त संख्या 148, जिला गुड़गांव के राजकीय प्रथमिक विद्यालय के के दो किलोमीटर दूरी तक के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 971/2002 दिनांक 19 फरवरी , 2003, के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करके अर्थात गांव चान्दला डूंगरवास हदबस्त संख्या 148 की आयत संख्या 2 की उत्तरी पिश्चिमी कोना, इसके बाद पूर्व की ओर गांव चान्दला डूंगरवास हदबस्त संख्या 148 की आयत संख्या 2,3,4 तथा 5 की उत्तरी सीमा के साथ—2 इसके बाद दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर गांव चान्दला डूंगरवास हदबस्त संख्या 148 की पूर्वी सीमा के साथ—2 इसके बाद उत्तर—पूर्व तथा उत्तर की ओर गांव बाधनकी हदबस्त संख्या 4 की उत्तरी सीमा के साथ बिन्दु 'बी' तक अर्थात गांव बाधनकी हदबस्त संख्या 1 की आयत संख्या 27 का उत्तरी—पूर्वी कोना ।
- पूर्व: बिन्दु 'बी' से चलकर दक्षिण की ओर गांव बान्धकी हदबस्त संख्या 4 की आयत संख्या 27, 34, 40 तथा 47 की पूर्वी सीमा के साथ—2 जहां यह गांव पाड़ा हदबस्त संख्या 5 की सीमा से मिलती है। उस बिन्दु तक, इसके बाद दिक्षण—पश्चिम की ओर गांव बाधनकी हदबस्त संख्या 4 की आयत संख्या 47 तथा 49 की दिक्षणि—पूर्वी सीमा के साथ—2 इसके बाद दिक्षण की ओर गांव पाड़ा हदबस्त संख्या 5 की आयत संख्या 12 तथा 27 की पूर्वी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'सी' तक अर्थात गांव पाड़ा हदबस्त संख्या 5 की आयत संख्या 27 का दिक्षणी—पूर्वी कोना है।
- दक्षिणः बिन्दु 'सी' से पश्चिम की ओर चलकर गांव पाड़ा, हदबस्त संख्या 5 की आयत संख्या 27 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 जहां यह गांव उदयपुरी हदबस्त संख्या 144 की उत्तरी सीमा से मिलती है। इसके बाद पश्चिम की ओर गांव बाधनकी, हदबस्त संख्या 4 की आयत संख्या 54 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 इसके बाद पश्चिम की ओर गांव लांगड़ा , हदबस्त संख्या 145 की दक्षिण—पूर्वी तथा दक्षिण—पश्चिमी सीमा के साथ —2 जहां यह गांव बिलासपुर, हदबस्त संख्या 146 की सीमा से मिलती है। इसके बाद पश्चिम की ओर गांव बिलासपुर हदबस्त संख्या 146 की आयत संख्या 38, 37 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 बिन्दु (डी) तक अर्थात गांव बिलासपुर, हदबस्त संख्या 146 के आयत संख्या 37 का दक्षिण—पश्चिमी कोना।
- पश्चिमः बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर चलकर गांव बिलासपुर , हदबसत संख्या 146 की आयत संख्या 37, 18 तथा 14 को पश्चिमी तथा पूर्वी सीमा के साथ गांव चान्दा डूंगरवास हदबस्त संख्या 48 की आयत संख्या 28,23,14,9 तथा 2 की पश्चिमी सीमा के साथ–2 बिन्दु 'ए' अर्थात् प्रारम्भिक बिन्दु।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 5th August 2005

No. CCP(NCR)/KMP/CAG/(b)/2005/1305.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the Area within a distance of two kilometers on the outer side of the boundary of Government primary School, Village Chandla Dungerwas, Hadbast No. 148, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

#### Schedule

Schedule of boundaries of controlled area within a distance of two kilometers on the outer side of the boundary of Govt. primary School, Village Chandla Dungerwas, Hadbast No. 148, District. Gurgaon to be read with the Drawing No DTP(G) 971/2002, dated the 19<sup>th</sup> February,2002.

North:- Starting from point "A" i.e. the north-western corner of Rectangle No. 2 of revenue estate of village Chandla Dungerwas, Hadbast No. 148, thence towards east along northern boundary of Rectangles No. 2,3,4 and 5 of village Chandla Dungerwas, Hadbast no. 148, thence north-east along the eastern boundary of village Chandla Dungerwas, Hadbast No. 148, thence towards north-east and north along the northern boundary of village Baghanki, Hadbast No. 4 upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle No. 27 of village Baghanki, Hadbast No. 4.

East:- Moving from point 'B' towards south along eastern boundary of Rectangles No.27,34,40 and 47 of village Baghanki, Hadbast No. 4 upto point where it meets boundary of village Para, Hadbast No. 5, thence towards south-east along south-east boundary of Rectangle No. 47 and 48 of village Baghanki, Hadbast No. 4, thence towards south along eastern boundary of Rect.No.12 and 27 of village Para, Hadbast No. 5 upto point 'C' i.e. south-east corner of Rect. No. 27 of village Para, Hadbast No. 5.

South:- Moving from point 'C' towards west along the southern boundary of Rectangle No. 27 of village Para, hadbast No. 5 where it meets the norther boundary of village Udaypuri, thence towards west along the southern boundary of Rectangle No. 54 of village Baghanki, hadbast No. 4, thence towards west along the south-west boundary of village Langra, hadbast No. 145 where it meets the boundary of village Bilaspur, hadbast No. 146, thence towards west along the southern boundary of Rectangles No. 37 and 38 of village Bilaspur, Hadbast No. 146 upto point 'D' i.e. south-west corner of Rectangle No. 37 of village bilaspur.

West:- Moving from point 'D' towards north along the western and eastern boundaries of Rectangles No. 37, 18 and 14 of village Bilaspur, Hadbast No. 146 and western boundary of Rectangles No. 28,23,14,9 and 2 of village Chandla Dungerwas,hadbast No. 148 upto 'A' i.e. the point of start.

### SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.